

पर्यटन उद्योग संबंधी समिति

1.	श्री सत्यदेव राम	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री सूर्यकान्त पासवान	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री बीरेन्द्र कुमार	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य
5.	डॉक्टर संजीव कुमार	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री महा नंद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्री अमर कुमार पासवान	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री विनय कुमार	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री शिव प्रकाश रंजन	स०वि०स०	सदस्य

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

संख्या:-प०उ०सं०स०-01/2020-

220

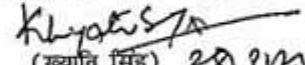
/ वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह

प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 (द) - (1) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बिहार विधान सभा की "पर्यटन उद्योग संबंधी समिति" का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1. श्री सत्यदेव राम	स०वि०स०	सभापति
2. श्री सूर्यकान्त पासवान	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री बीरेन्द्र कुमार	स०वि०स०	सदस्य
4. श्री संजय कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य
5. डॉक्टर संजीव कुमार	स०वि०स०	सदस्य
6. श्री महा नंद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
7. श्री अमर कुमार पासवान	स०वि०स०	सदस्य
8. श्री विनय कुमार	स०वि०स०	सदस्य
9. श्री शिव प्रकाश रंजन	स०वि०स०	सदस्य

श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2025 से सत्रहवें बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(ख्याति सिंह)
प्रभारी सचिव,

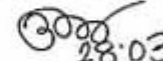
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक- प०उ०सं०स०-01/2020-

221

/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सभापति एवं सदस्यगण / प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / वित्त आयुक्त, बिहार सरकार, पटना / सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28.03.2025

(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

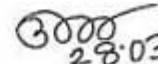
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक- प०उ०सं०स०-01/2020-

221

/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28.03.2025

(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

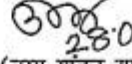
बिहार विधान सभा, पटना ।


28/03/25

ज्ञापांक- प०उ०सं०स०-01/2020- 221

/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।


28-03-2025
(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक- प०उ०सं०स०-01/2020- 221

/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / उप सचिव / संयुक्त निदेशक / अवर सचिव / लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा / बजट शाखा / अवधायक शाखा / श्रव्य एवं दृश्य इकाई शाखा (बिहार विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28-03-2025
(उमा शंकर यादव)

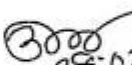
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक- प०उ०सं०स०-01/2020- 221

/वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2025 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 15 (पन्द्रह) प्रतियाँ सभा सचिवालय को भी उपलब्ध करायी जाय ।


28-03-2025
(उमा शंकर यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सुषमा

28/03/25

बिहार विधान सभा सचिवालय

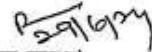
अधिसूचना

पटना, दिनांक - 29 जून, 2024 ई० ।
संख्या :-प०उ०सं०स०- 01/2020 - 229 / वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (ढ़) के तहत वित्तीय वर्ष - 2024-2025 के लिए बिहार विधान सभा की " पर्यटन उद्योग संबंधी समिति " का गठन निम्न प्रकार से किया है :-

1.	श्री सत्यदेव राम	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री बीरेन्द्र कुमार	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री संजय कुमार सिंह	स०वि०स०	सदस्य
4.	डॉक्टर संजीव कुमार	स०वि०स०	सदस्य
5.	श्री महा नंद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री अमर कुमार पासवान	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्री विनय कुमार	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री शिव प्रकाश रंजन	स०वि०स०	सदस्य

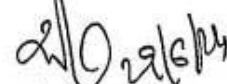
श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 01 जुलाई 2024 से 31 मार्च, 2025 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,


(राज कुमार)
सचिव,

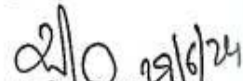
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक - प०उ०सं०स०- 01/2020 - 230 / वि०स०, पटना, दिनांक - 29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सभापति एवं सदस्यगण / प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / वित्त आयुक्त, बिहार सरकार, पटना / सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक - प०उ०सं०स०- 01/2020 - 230 / वि०स०, पटना, दिनांक 29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(राजीव कुमार)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक - प०उ०सं०स०- 01/2020 - 230 / वि०स०, पटना, दिनांक - 29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि :- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आस सचिव / प्रधान आस सचिव,
सचिवीय कार्यालय एवं संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष
महोदय / सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

21/09/24
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक - प०उ०सं०स०- 01/2020 - 230 / वि०स०, पटना, दिनांक - 29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के सभी निदेशक / उप सचिव / संयुक्त निदेशक / अवर सचिव / लेखा
शाखा / जनसम्पर्क शाखा / बजट शाखा / अयथायक शाखा / श्रत्य एवं दृश्य इकाई शाखा (बिहार विधान
सभा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु
प्रेषित ।

21/09/24
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक - प०उ०सं०स०- 01/2020 - 230 / वि०स०, पटना, दिनांक - 29 जून, 2024 ई० ।
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी
सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की
15 (पन्द्रह) प्रतियाँ सभा सचिवालय को भी उपलब्ध करायी जाय ।

21/09/24
(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

इक्षिताक
29.06.2024